

विज्ञप्ति संख्या-01/2015  
**जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय गोड्डा**  
**शिक्षक पद पर नियुक्ति की सूचना हेतु नियुक्ति**

1. झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों से राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में गैर योजना अन्तर्गत स्वीकृत इंटर प्रशिक्षित शिक्षक एवं योजना अन्तर्गत स्वीकृत इंटर प्रशिक्षित उर्दू शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु संलग्न प्रपत्र में दिनांक 04.07.2015 तक स्पीड-पोस्ट/निवंधित डाक के माध्यम से आवेदन-पत्र निर्मांकित पते पर आमंत्रित किया जाता है। दिनांक 04.07.2015 के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

पता-

जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय,  
 सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय के प्रथम तल पर स्थित।  
 मेला मैदान के सामने, गोड्डा।

पिन कोड-

814133

2. इच्छुक आवेदक अपना आवेदन-पत्र की सभी प्रविष्टियों को भर कर, उचित स्थान पर पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ चिपकायेंगे एवं आवेदन-पत्र के उचित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। आवेदन-पत्र के साथ बांधित अभिलेख की स्वहस्ताक्षरित आयाप्रति एवं दो अतिरिक्त फोटोग्राफ संलग्न कर एक लिफाफा में भेजेंगे। लिफाफा के उपर में बड़े अक्षरों में इंटर प्रशिक्षित शिक्षक/इंटर प्रशिक्षित उर्दू शिक्षक (जो लागू हो) पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे तथा लिफाफे पर अपना नाम, पूरा पता एवं दूरभाष/मोबाइल संख्या अंकित करेंगे।

3. नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता एवं अहर्ता निम्नवत् है:-

- भारत का नागरिक हो।
- प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के नियम 4(ख)(i) में वर्णित निम्नलिखित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान/प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त किया हो एवं उत्तीर्ण हो।
- (अ) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)।  
न्यूनसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

न्यूनसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)।

न्यूनसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा।

न्यूनसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

एवं

- (ब) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) में उत्तीर्ण

4. झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के भाषा-1 विषय में हिन्दी एवं अंग्रेजी के साथ परीक्षा में शामिल एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदक उर्दू शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।

5. जिस जिला में आवेदक नियुक्ति हेतु आवेदन देना चाहते हैं, उस जिला के लिए, लागू किसी एक जनजातीय/क्षेत्रीय भाषा के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो।

6. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2096, दिनांक 25.04.11 एवं तदनुरूप झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के नियम 13 में निहित प्रावधान के अनुसार दिनांक 01.08.2015 को अधिकतम उम्र सीमा निर्मांकित है, :-

कोटि	अधिकतम उम्र	विकलांगों के लिए अधिकतम उम्र
अनारक्षित -	35 वर्ष	40 वर्ष
पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग -	37 वर्ष	42 वर्ष
महिला - (अनारक्षित/ पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	43 वर्ष
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति - (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष	45 वर्ष

7. झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के नियम 13 में निहित प्रावधान के अनुसार पारा शिक्षक के मामले में सभी कोटि के अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष है।

8. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में जिला स्तरीय सीधी नियुक्ति में आरक्षण के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 2020, दिनांक 09.04.10 या प्रभावी अद्यतन आदेश के अनुसार इस नियुक्ति में आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

9. झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 के प्रावधानानुसार इस नियुक्ति में झारखण्ड राज्य के निवासी महिलाओं को नियमानुसार क्षेत्रिज आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। महिलाओं के लिए क्षेत्रिज रूप में आरक्षित पद के अन्तर्गत 5 प्रतिशत पद अर्हताधारी तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा महिलाओं के लिए होगा और ऐसी महिलाओं के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य अर्हताधारी महिलाओं से इन पदों को भरा जायेगा।

10. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 7281, दिनांक 01.11.07 या प्रभावी अद्यतन आदेश द्वारा निर्गत संकल्प के अनुरूप जिला स्तरीय सीधी नियुक्ति में निःशक्त व्यक्तियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
11. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 5795, दिनांक 10.10.02 के अनुसार खेलकूद कोटा से दो प्रतिशत पद भी क्षैतिज रूप से आरक्षित हैं। तदुसार, इस नियुक्ति में संकल्प में अंकित प्रावधानान्तर्गत झारखण्ड राज्य के निवासी खेलकूद कोटे के योग्य आवेदकों को नियुक्ति हेतु इस कोटे से आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
12. झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति (प्रथम संशोधन) नियमाली, 2014 के अनुसार शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु चिन्हित रिक्तियों में से 50 प्रतिशत पद झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत कार्यरत ऐसे अहर्तार्थी पारा शिक्षक, जिनकी सेवा उस पंचांग वर्ष, जिसमें नियुक्ति हेतु विशिष्ट प्रकाशित की जायेगी, की पहली अगस्त को न्यूनतम दो वर्ष या उससे अधिक की हो, में से तथा शेष 50 प्रतिशत पद गैर-पारा शिक्षक अहर्तार्थी आवेदकों में से भरा जायेगा के अनुरूप रिक्ति का कोटिवार विवरण निम्नवत् है:-

(क.) गैर योजना अन्तर्गत इंटर प्रशिक्षित शिक्षक के रिक्त पदों (अग्रणीत सहित) का कोटिवार विवरण:-

कोटि	रिक्त पदों की कुल संख्या	कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित पद			गैर पारा शिक्षकों के लिए पद		
		कुल	कुल अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण		कुल	कुल अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण	
			महिला	योग्य खिलाड़ी आवेदक		महिला	योग्य खिलाड़ी आवेदक
अनारक्षित	251	141	70		110	55	
अनुसूचित जाति	93	51	26		42	21	
अनुसूचित जनजाति	287	155	77		132	66	
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	51	28	14		23	11	
पिछड़ा वर्ग	36	20	10		16	8	
कुल-	718	395	197		323	161	
कुल अन्तर्गत निःशक्त आवेदकों हेतु क्षैतिज	दृष्टि निःशक्तता- मूक बधिर निःशक्तता- चलन निःशक्तता, आदि-			दृष्टि निःशक्तता- मूक बधिर निःशक्तता- चलन निःशक्तता, आदि-			

(ख.) योजना अन्तर्गत इंटर प्रशिक्षित उर्दू शिक्षक के रिक्त पदों (अग्रणीत सहित) का कोटिवार विवरण:-

कोटि	रिक्त पदों की कुल संख्या	कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित पद			गैर पारा शिक्षकों के लिए पद		
		कुल	कुल अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण		कुल	कुल अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण	
			महिला	योग्य खिलाड़ी आवेदक		महिला	योग्य खिलाड़ी आवेदक
अनारक्षित	40	28	14		12	6	
अनुसूचित जाति	22	12	6		10	5	
अनुसूचित जनजाति	80	39	19		31	15	
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	9	6	3		3	2	
पिछड़ा वर्ग	6	4	2		2	1	
कुल-	147	89	44		58	29	
कुल अन्तर्गत निःशक्त आवेदकों हेतु क्षैतिज	दृष्टि निःशक्तता- मूक बधिर निःशक्तता- चलन निःशक्तता, आदि-			दृष्टि निःशक्तता- मूक बधिर निःशक्तता- चलन निःशक्तता, आदि-			

13. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में झारखण्ड सरकार के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रदत् जाति एवं आवासीय प्रमाण-पत्र के आधार पर ही आरक्षण का लाभ अनुपात्य होगा।
14. अहर्तार्थी आवेदकों में से उक्ते लिए चिन्हित रिक्तियों के विरुद्ध जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा नियमानुसार प्रथम मेधा सूची तैयार की जायेगी, जिसमें कोटिवार अधिकतम उतने ही आवेदकों का नाम शामिल होगा, जितनी रिक्ति उस कोटि विशेष के लिए है। प्रथम कॉउसिलिंग उपरांत आवश्यकतानुरूप द्वितीय अथवा तृतीय मेधा सूची भी बारी-बारी से तैयार की जा सकेगी एवं कॉउसिलिंग की जायेगी।
15. कॉउसिलिंग में सही पाये गये प्रमाण-पत्रों/अहर्तार्थी आवेदकों के आधार पर जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची के प्रकाशनोपर्यंत शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।
16. किसी भी परिस्थिति में प्रतीक्षा सूची पैनल का निर्माण नहीं किया जायेगा। अगर योगदान नहीं करने के फलस्वरूप कोई रिक्ति रह जाती है तो उसे अगली कार्यसम्पादन में ही विधिवत् भरा जायेगा।
17. शिक्षकों की नियुक्ति मूल कोटि (basic grade) के वेतनमान रु- 9300-34800, ग्रेड पे-4200 में होगी। उच्च योग्यताधारी होने के आधार पर किसी उच्चतर वेतनमान में नियुक्ति नहीं की जायेगी।
18. शिक्षक नियुक्ति संबंधी आवश्यक सूचनाएँ वेबसाइट (website), www.godda.nic.in पर दी जायेगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइट पर दी जाने वाली सूचनाओं से अपने को भलीभांति अवगत रहें।
19. इच्छुक आवेदकों को यह सुझाव दिया जाता है कि आवेदन-पत्र में वांछित सभी सूचनाएँ सही-सही एवं साफ-साफ भरेंगे। आवेदन-पत्र में किसी प्रकार का काट-कूट या लिप्तलेखन नहीं रहना चाहिए। भविष्य में कोई भी सूचना/प्रमाण-पत्र गलत/असत्य/जाली पाये जाने पर अध्यर्थित्व या नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
20. इच्छुक आवेदकों के हित में उहैं यह भी परामर्श दिया जाता है कि शीघ्रताशीघ्र अपना आवेदन स्पीड पोस्ट/निर्बंधित डाक के माध्यम से भेजें। विलंब से/निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा।

जिला शिक्षा अधीक्षक,  
गोड्डा।

उपायुक्त,  
गोड्डा।